न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 29/2018 तारीख रजू:—9.7.2018

1 ओमप्रकाश पुत्र हजारी जाति मीना निवासी खूबपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली :—अपीलान्ट

बनाम

1 सरकार जरिये तहसीलदार सपोटरा जिला करौली —रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार सपोटरा निर्णय दिनांक 25.6.2018 मुकदमा नम्बर 2/18 मुकदमा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम ओमप्रकाश अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट जिसके द्वारा अपीलान्ट को खसरा नम्बर 667 की 3 विस्वा आराजी पर अतिक्रमित मानकर 50 गुणा पैनल्टी एवं तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया।

निर्णय दिनांक 15.1.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने एक अपील तहसीलदार सपोटर के निर्णय दिनांक 25.6.2018 से नाखुश होकर बताया गया है कि अपीलान्ट पर दिनांक 25.6.2018 की तारीख पेशी थी हेतु सम्बन्ध तामिल कराया गया किन्तु बिना किसी अवसर दिये ही निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृति न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है। न्यायालय ने पटवारी हल्का के बयाना लेख बंद कराना बताया गया है। किन्तु पटवारी हल्का से अपीलान्ट की कोई जिरह नही कराई गई है। अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 667 पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। बिना जॉच किये ही बिना विधि विरूद्व निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम बार अतिक्रमण करने पर शास्ति आरोपित करने का ही विधिक अधिकार है। अन्त मे अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.6.2018 अपास्त फरमाते हुये।अपील स्वीकार की जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजीका कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई दौराने बहस अपने कथन मे अपील मीमो को दोराते हुये कहा गया है कि मौके पर किसी प्रकार का कोई तलाई पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है नाही यह प्रकरण पश्चातवर्ती है अपीलान्ट को विधिवत नही सुना गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि पटवारी हल्का ऐकट ने एक रिपोर्ट राजकीय भूमि गैरमुमकिन तलाई खसरा नम्बर 667 रकवा 0.03 विस्वा पर पुख्ता दुकान बनाकर अतिक्रमण

सम्बन्ध मे घटना वही की नकल आदि दस्तावेज होना आवश्यक है। इस प्रकार से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार पर पश्चावर्ती अतिक्रमण मानकर विधि विरूद्व अपीलान्ट को सजा से दण्डित किया गया है। तो हमारी सुविचारित राय मे सिविल जैसे कठोर कारावास की सजा को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सपोटरा जिला करौली का निर्णय दिनांक 25.6.2018 मे से 90 दिवस का सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.1.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
करौली